

क्रमांक : F(21)/DHQ/Doitc/Beawar/Legal/1578

दिनांक : 07.03.2025

—: संशोधित कार्यालय आदेश :—

श्रीमान् संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक F8(24)Doc/Gen/98/00042/RajKaj No- 13318129 दिनांक 31.01.2025 एवं महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अध्याय — II आंतरिक शिकायत समितियों का गठन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उपर्युक्त परिपत्रों की पालना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 14) अनुसार इस कार्यालय में “**आंतरिक शिकायत समिति**” का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.स.	कार्मिक का नाम मय पद	पद	मोबाइल न.
1	श्रीमती बबिता मनसुखानी, प्रोग्रामर	अध्यक्ष	8078657678
2	श्रीमती विजय लक्ष्मी, कोर्डिनेटर, अर्यमा सेवा समिति	सदस्य	9460003666
3	श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान, प्रोग्रामर	सदस्य	9314962646
4	श्रीमती प्रेक्षा जैन, सूचना सहायक	सदस्य	8769753546
5	श्रीमती रेखा चौधरी, सूचना सहायक	सदस्य	9413252424

सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)
सू.प्रौ. और संचार विभाग
ब्यावर

क्रमांक : F(21)/DHQ/Doitc/Beawar/Legal/1579-84

दिनांक : 07.03.2025

प्रतिलिपी निम्न को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् जिला कलक्टर, ब्यावर।
3. समस्त ब्लॉक प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्यावर।
4. संबंधित सदस्य गण श्रीमती/श्री।
5. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Ganesha Ram
Designation: System Analyst (Joint
Director)
Date: 2025.03.07 17:43:55 IST
Reason: Approved